देश को सशक्त बनाने की शुरुआत अपने घर से करें : रामदत्त

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 14 जनवरी। देश को सशक्त, सामर्थ्यशाली और विश्व गुरु बनाने की शुरुआत सभी लोग अपने घर से करें। जब हर परिवार संस्कारित और कर्तव्य परायण होगा तो संपूर्ण समाज और राष्ट्र श्रेष्ठ होगा। इस ध्येय को पूरा करने के लिए प्राण प्रण से जुटकर स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद ने जो भविष्यवाणी की थी उसे साकार करें।

यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह रामदत्त चक्रधर ने बुधवार को जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित स्वर शतकम् कार्यक्रम में मुख्य वक्ता की आसंदी से कही। संस्कार भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ग्वालियर विभाग संघचालक प्रहलाद सबनानी, जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो.राजकुमार आचार्य, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. स्मिता सहस्त्रबुद्धे, आईआईटीटीएम के निदेशक प्रो. आलोक शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्य वक्ता चक्रधर ने कहा कि संगीत साधना है। इसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास सहित कई साधक इसके प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साधना को भी 100 वर्ष हो गए हैं। डॉ.केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीजारोपण किया था। शुरुआत में उपहास, उपेक्षा और विरोध के बाद आज संघ का समाज में स्वीकार्यता बढ़ी है। अब संसद में भी हिंतुत्व पर चर्चा होने लगी है। हालांकि अभी विरोधी लोग स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी सहित अन्य के हिंतुत्व में भेद करते हैं। उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि वह दिन भी आएगा जब लोग हिंदुत्व में भेद नहीं देखेंगे।

सह सरकार्यवाह ने कहा कि डॉ.हेडगेवार का मानना था सबसे पहले आत्म विस्मृत हिंदू समाज को आत्म बोध कराना होगा। जब तक हिंदू समाज संगठित और परमार्थी नहीं होगा तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब हिंदुओं को हिंदू कहलाने में हीन भावना आती थी। आज संघ के सतत प्रयास से लोग गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक हिंदू सिर्फ अपने और अपने परिवार की भलाई के बारे में ही सोचता था। अब देश में जागृति आई है। कोराना काल का उदाहरण देते हुए रामदत्त जी ने कहा कि उस दौरान रिश्तेदार, पड़ौसियों ने भी साथ नहीं दिया था, तब संघ के स्वयंसेवकों ने अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए न सिर्फ उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया, बल्कि मृतकों को उनके परिजनों तक पहुंचाया था। भारत-पाक युद्ध का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा कि उस समय सीमा पर संघ के नगर कार्यवाह चंद्रप्रकाश सहित 4-5 स्वयंसेवकों ने अपना बलिदान देकर गोला बारूद सेना तक पहुंचाने में मदद की थी। यही नहीं 1965 के भारत-चीन युद्ध में भी स्वयंसेवकों ने भी देश की रक्षा में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था और दिल्ली की 17 दिन तक यातायात व्यवस्था संभाली थी। गोवा को मुक्त कराने में भी स्वयंसेवकों ने अहम भूमिका निभाई थी। स्वयंसेवकों के योगदान को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 हजार स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का अवसर दिया था। श्री चक्रधर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब पंच परिवर्तन- सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्व बोध, नागरिक शिष्टाचार एवं कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से संपूर्ण समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होकर देश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत डॉ.संजय धवले, गोपी मंधान, चंद्रप्रताप सिकरवार, डॉ.रूबी गुप्ता, शिखर दीक्षित ने किया। एकल गीत अनूप मोघे ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन एसबी ओझा निरुपम नेवासकर ने एवं आभार चंद्रप्रताप सिकरवार ने प्रस्तुत किया।

ये हुए पुरस्कृत : कार्यक्रम में गायन,वादन और नृत्य का अद्भुत प्रदर्शन भी हुआ, साथ ही संस्कार भारती द्वारा 5 और 6 जनवरी को कराई गई विद्यालयीन और महा विद्यालयीन प्रतियोगिताओं के विजेताओं द्वारा गायन भी हुआ और आयोजन में उन्हें पुरस्कृत भी किया गया।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं कु. करिश्मा निवासी- 12 बरा तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) यह सूचित करती हूँ कि मेरा नाम शैक्षणिक अभिलेख 10 वीं की अंकसूची में कु. करिश्मा अंकित है। विवाह के पश्चात् मेरा नाम करिश्मा बानो हो गया है, जो कि में मेरे सभी वैध दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अभिलेख, वोटर कार्ड आदि में अपडेट होकर अंकित है। वर्तमान में मुझे सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी एवं निजी अभिलेखों में करिश्मा बानों के नाम से जाना जाता है और भविष्य में भी इसी नाम से जाना जाएगा। करिश्मा बानो पत्नी कादिर खांन निवासी- 12 बरा तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) दिनांक 14.01.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 19 वार्ड क्रमांक 44 भवन क्रमांक 991 स्थान निम्बालकर की गोठ में स्थित है जो कि विभा गुप्ता / राकेश विहारी के नाम से नगर निगम में आई डी क्रमांक 1000209432 पर दर्ज है। / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 413 वर्ग फुट है उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक..... दिनांक .... द्वारा क्रय / उत्तराधिकार से प्राप्त / वसीय तनामा से प्राप्त किया गया है उक्तसम्पत्तिकर मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन दिनांक 14/01/2026 को किया गया है जिसका आवेदन सम्पत्ति ट्रांसफर न-PT 40142 है। उक्त के संबंध में यदि किसी कोआपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्षक्र.202,205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखितमें अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 14-01-2026
आवेदक का नाम/पता
पूजा गंगिल पत्नी राहुल गंगिल
पता-निम्बालकर की गोठ ,ग्वालियर, मध्यप्रदेश

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा पुराना नाम **प्रतीक अनिल ब्रिजवानी** पुत्र **अनिल ब्रिजवानी** था जो मेरी 10वीं कक्षा की मार्कशीट में लिखा हुआ था। मैंने अपना नाम बदल लिया है। अब मेरा नया और सही नाम **प्रतीक ब्रिजवानी** पुत्र **अनिल ब्रिजवानी** है जो की मेरे आधार और पैन कार्ड में दर्ज है। अत: भविष्य में मुझे **प्रतीक ब्रिजवानी** पुत्र **अनिल ब्रिजवानी** के नाम से जाना पहचाना जाये.

प्रेषक
प्रतीक अनिल ब्रिजवानी पुत्र अनिल ब्रिजवानी
निवासी- दूसरा फ्लोर साई अपार्टमेंट जवाहर नगर कब्पू गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.) 474001

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 19 वार्ड क्रमांक 44 भवन क्रमांक 990 स्थान जिन्सी नाला न. 1 में स्थित है जो कि राकेश विहारी पुत्र सत्य प्रकाश के नाम से नगर निगम में आई डी क्रमांक 1000210857 पर दर्ज है। / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 738 वर्ग फुट है उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक.. दिनांक .. द्वारा क्रय / उत्तराधिकार से प्राप्त / वसीय तनामा से प्राप्त किया गया है उक्तसम्पत्तिकर मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन दिनांक 14/01/2026 को किया गया है जिसका आवेदन सम्पत्ति ट्रांसफर न-PT 40141 है। उक्त के संबंध में यदि किसी कोआपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्षक्र.202,205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखितमें अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 14-01-2026
आवेदक का नाम/पता
राहुल गंगिल पुत्र ओम प्रकाश
पता- जिंसी नाला न. 1 ,ग्वालियर, मध्यप्रदेश

खोया-पाया

मैं शशिकांत पुत्र राकेश पचौरी निवासी भारतीय कान्वेंट स्कूल के सामने,चार शहर का नाका,हजीरा ग्वालियर, मैं संस्थान के कार्य से गोविंदपुरी ग्वालियर में संस्थान की जीएनएम प्रथमवर्ष एवं तृतीय वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थियो की मार्कसीटो का लिफाफा लेकर जा रहा था। मार्कसीटो का लिफाफा कहीं रास्ते में गिर गया है जिसे काफी ढूढने का का प्रयास किया परंतु नही मिला।

अतः जिस किसी व्यक्ति को मिले उपरोक्त पते पर पहुचाने का कष्ट करे पहुचाने वाले को उचित ईनाम दिया जायेगा।

सम्पर्क- शशिकांत
मेबा न0 9039684054

पश्चिम मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, वाणिज्य शाखा, भोपाल.
No.: C/BPL/PNU/GUNA/E-Auction/2025-01, Date: 14.01.2026

पे एंड यूज के ठेके स्थापित करने हेतु जगह के आवंटन हेतु ई-ऑक्शन

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, भोपाल द्वारा पे एंड यूज के ठेके स्थापित करने हेतु जगह के आवंटन हेतु ई-ऑक्शन आमंत्रित की जाती है। ई-ऑक्शन के Catalogue IREPS Portal (**www.ireps.gov.in**) पर उपलब्ध हैं। Catalogue की जानकारी इस प्रकार हैं-

Sr. No.	Catalogue Number	Type of Contract	Lot No./Bid No.	Contract Period	Date and Time of close of e-auction
01	C-BPL-PandU-JAN	Pay & Use	PnU-BPL-GUNA-Toi-23-25-01 (Pay and use Toilets)	3 years (1096 days)	28.01.2026 at 12:30:00

सम्पूर्ण जानकारी, अनुबंध की सामान्य शर्तें एवं अनुबंध की विशेष शर्तें **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध हैं। प्रतिभागी पोर्टल पर जाकर विवरण प्राप्त कर सकते है।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (वा), पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान - एक कदम स्वच्छता की ओर

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्रान्तर्गत वार्ड क्र. 49, स्थित-तारागंज, लोनकर का बाड़ा, लश्कर, ग्वालियर में स्थित है, जिसका कम्प्यूटरीकृत आई. डी. नंबर 1000103650 है, जो कि निगम वर्तमान रिकॉर्ड में श्री प्रकाश प्रभाकर करडेकर, पता-स्थान-तारागंज, लोनकर का बाड़ा, लश्कर, ग्वालियर के नाम से दर्ज है, जिसका भवन क्र. 708 है। उक्त संपत्ति को/के को जिसका क्षेत्रफल 168. 98 वर्गमीटर है। उक्त संपत्ति को मनोज कुमार वर्मा पुत्र स्व. श्री मदनलाल वर्मा ने प्रकाश प्रभाकर करडेकर से क्रय किया है तत्पश्चात मेरे नाम मनोज कुमार वर्मा के नाम नामांकन किया जाये। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा म.प्र.न.पा. निगम अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 167 के आशय हेतु संपत्तिकर एवं अन्य उपकर जमा करने हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र क्र. 18 पर दिनांक 12.01.2026 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका कार्य क्रमांक 83/2010/18470 /40770 है। उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम, ग्वा. मुख्यालय सिटी सेंटर में स्थित संपत्तिकर विभाग के कक्ष क्र. 202, 205 में विज्ञप्ति प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि के अंदर प्रमाण सहित लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा। विज्ञप्ति जारी दिनांक 15.01.2026

आवेदक-मनोज कुमार वर्मा पुत्र स्व. श्री मदनलाल वर्मा
पता-चाबड़ी बाजार, लश्कर, ग्वालियर
मो. 9752760253

अक्षय तृतीया 20 अप्रैल को, होगा 17वां किरार सामूहिक विवाह सम्मेलन

समिति गांव-गांव जाकर कर रही प्रचार प्रसार

ग्वालियर। किरार सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति मुरार द्वारा अक्षय तृतीया 20 अप्रैल 2026 को रामलीला मैदान मुरार ग्वालियर में 17वॉ किरार सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। विवाह सम्मेलन का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंदों समाज बंधुओं को मिल सके इसके लिए समाज के गांव गांव में जाकर प्रचार प्रसार पर किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष मोती सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अक्षय तृतिया 20 अप्रैल को रामलीला मैदान में 17वें किरार सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस बार सम्मेलन को भव्य रूप देने के लिए गांव गांव जाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिसमें मोहना के बडागांव, ददोरी, उम्मेदगढ, दौरार, भितरवार, चीनौर, पिपरौआ, रजौआ, ककरधा, पार, बनवार, कछौआ, आंतरी, जौरासी, प्रेमपुर, सिकरौदा आदि गावों में जाकर समाज बंधुओं से अनुरोध किया है कि विवाह में फिजूल खर्चे से बचते हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करें। सम्मेलन में वर - वधु के रजिस्ट्रेशन चालू है जो कि 5 अप्रैल 2026 तक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। सभी समाज बंधु सम्मेलन का लाभ लेकर समाज हित में योगदान दे।

वर-वधु को विवाह में दिए जाएगें उपहार : किरार सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति द्वारा 17वाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया किया जा रहा है। इस वर्ष होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर-वधु को समिति एवं दानदाताओं द्वारा उपहार स्वरूप सामान दिया जाएगा। जिसमें फ्रीज, वाशिंग मशीन, अलमारी, टीवी, कूलर, पलंग, सूटकेस, ड्रेसिंग, पॉच ज्वेलरी सेट (मंगलसूत्र, लोंग, पायल, बिछिया, मोती), हाथ घडी, वर-वधु वस्त्र, तकिया, कंबल, इंडेक्शन, छत पंखा, कुर्सी टेबल, बर्तन सेट, गैस चूल्हा, कुकर, मिक्सी, दीवाल घडी, प्रेस, बर्तन डलिया, बाटी ऑवन, हेलमेट आदि सामान दिया जाएगा।

नाम संशोधन सूचना

नाम- असलम खान
पिता का नाम- श्री नन्हे खान
आयु - 36 साल
जाति - मुसलमान
व्यवसाय- मजदूरी
निवासी- पुराना वार्ड नंबर 09 नया वार्ड नंबर 08 न्यू टेलीफोन एक्सचेंज के सामने श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र.
आधार कार्ड नंबर- 827775253284
मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि :-
1. यह कि मैं वार्ड नंबर 08 न्यू टेलीफोन एक्सचेन्ज के सामने श्योपुर म.प्र. का स्थाई निवासी हूं।
2. यह कि मेरे आधार व पेन कार्ड में मेरा नाम **असलम खान** (Aslam Khan) दर्ज है।
3. यह कि मेरा भारत सरकार द्वारा बनाया गया पासपोर्ट में मेरा नाम **असलम** (Aslam) दर्ज हो रहा है।
4. यह कि पासपोर्ट में मेरा नाम **असलम** (Aslam) के स्थान पर मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड के अनुसार **असलम खान** (Aslam Khan) दर्ज करवाना चाहता हूँ।
5. यह कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम **असलम** (Aslam) के स्थान पर आधार कार्ड व पेनकार्ड के अनुसार असलम खान (Aslam Khan) दर्ज किया जावे।
शपथपुष्टि :- मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि इस शपथपत्र की कलम नं 1 लगायत 5 में वर्णित समस्त तथ्य सही एवं सत्य है।

स्थान- श्योपुर मध्यप्रदेश
दिनांक- 14.01.2026
शपथकर्ता असलम खान

सम्बन्ध विच्छेद - आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार आशिफ खान पुत्र श्री सकूर खान निवासी नवाब बजरी वाले के पीछे, अवाडपुरा कम्पू लश्कर ग्वालियर म.प्र. मे अपने परिवार सहित उपरोक्त वर्णित पते पर स्थायी रुप से निवास करता है। मेरे पक्षकार का पुत्र आदिल खान आये दिन किसी ना किसी बात को लेकर मेरे पक्षकार व उसकी पत्नि के साथ गाली गलौच कर लडाई झगड़ा करने पर आमादा हो जाता है और संपत्ति को लेकर आये दिन लडाई झगड़ा करता है और कहता है कि हमारे नाम से संपत्ति कर दो नहीं तो मैं आत्महत्या कर झूठे केस में फंसवा दूंगा जिसके कारण मेरा पक्षकार व उसकी पत्नि दुखी व भयभीत रहकर अपना जीवन यापन कर रहे है। मेरे पक्षकार के पुत्र आदिल खान के क्रूरतापूर्ण व्यवहार व चाल चलन, आचार विचार ठीक न होने के कारण अपने पुत्र आदिल खान से अपने सारे रिश्ते नाते समाप्त कर उससे संबंध विच्छेद कर रहा हूँ एंव अपनी संपूर्ण जायदाद व चल अचल संपत्ति से अपने पुत्र आदिल खान को बेदखल करता हूँ। अतः सर्वसाधारण सूचित हो कि मेरे पक्षकार के पुत्र आदिल खान के किसी भी आपराधिक कृत्य एंव लेन देन संबंधी संव्यवहार के लिये आदिल खान स्वंय उत्तरादायी होगा मेरे पक्षकार व उसके परिवारजन का आदिल खान से किसी भी प्रकार का कोई संबध व सरोकार नही होगा अतः सूचित हो।

भवदीय
आशिफ खान पुत्र श्री सकूर खान
निवासी - नवाब बजरी वाले के पीछे, अवाडपुरा कम्पू, लश्कर, ग्वालियर म.प्र.
द्वारा अभिभाषक -
ब्रिजेन्द्र शर्मा एडवोकेट
कार्यालय-दत्त मंदिर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो **8819979657**

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम पति-पत्नी गिरीश कुमार राठौर पुत्र स्व. श्री हजारीलाल राठौर आयु 64 वर्ष व ऊषा राठौर, आयु- 58 वर्ष, निवासी-फोर्टव्यू कॉलोनी, सेक्टर नं. 4 के सामने, विनय नगर, ग्वालियर में निवास करते हैं तथा मैं गिरीश कुमार राठौर विकलांग हूं तथा मेरी पत्नी बीमार अवस्था में रहती है। यहकि, हमारे दो पुत्र हैं जिसमें प्रथम रामवीर राठौर व द्वितीय गम्भीर राठौर हैं, दोनो का विवाह हो चुका है हमने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने उक्त दोनों पुत्रों के भविष्य व उनके सफल जीवन हेतु तथा यह सोचकर कि हमारे उक्त दोनों पुत्र हमारे बुढापे का सहारा बनेंगे, उनको अच्छे से पढ़ाया-लिखाया तथा उनका वैवाह कर घर बसाया। किंतु हमारे दोनो पुत्रों की दोस्ती-यारी गलत लोगों के साथ होने से दोनों पुत्र शिक्षा व रोजगार हासिल नहीं कर पाये, परिणामस्वरूप उन्होंने कलर-पुट्टी का कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, उनका शराबी-कबाड़ी जैसे लोगों के साथ प्रतिदिन उठना-बैठना होता है जिसके चलते उक्त दोनों की आदतें खराब हो गयी हैं तथा वे घर में अनजान लोगों को लाकर शराब आदि का सेवन करते और अनजान लोगों से रुपये उधार मांग लेते हैं जिसके चलते असामाजिक तत्व घर-द्वार पर आकर गाली-गलोच कर उधारी मांगते हैं तथा लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। दोनों पुत्र हमारी किसी भी प्रकार से कोई भी मदद या भरण-पोषण नहीं करते, कई बार हमने उधार लेकर उनकी उधारी चुकाई है इस कारण घर में गृहक्लेश बना रहता है। मैंने अपने उक्त दोनों पुत्रों को खूब समझाने का प्रयास किया लेकिन उनमें कतई सुधार नहीं आया है तथा वे हमें ही घर से निकल जाने को कहते हैं उनके इस असामाजिक व अनैतिक व्यवहार के कारण समाज में हमारी छवि धूमिल हो रही है तथा समाज व रिश्तेदारी में हमारा उठना-बैठना मुश्किल हो रहा है। अतः हम प्रकाशित की जा रही इस सूचना पत्र के माध्यम से यह घोषणा करते हैं कि हम अपने उक्त दोनों बेटों से अपना संबंध विच्छेद कर उनको अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति आदि से बेदखल करते हैं तथा भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार के लेन-देन के यही दोनों लोग जिम्मेदार होंगे, इसमें हमारा किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं होगा। आमजन सूचित हों।
दिनांक- 14.01.2026
प्रेषक- 1. गिरीश कुमार राठौर, 2. ऊषा राठौर
निवास- फोर्टव्यू कॉलोनी, सेक्टर नं. 4, विनय नगर, ग्वालियर
द्वारा- **पूनम कुशवाह, देवेन्द्र माहौर** (एडवोकेट्स)
कार्यालयः- डी / एफ-1, इंद्रमढ़ी नगर, पीतम्बरा स्टेट, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) मो. 9406500665

शराब के लिए पैसे न मिलने पर घर पर फायरिंग करने वाला बदमाश गिरफ्तार

ग्वालियर। घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले फरार आरोपी जाहिल बाथम उर्फ शैलेश को थाना बहोड़ापुर पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक के घर पर केवल इसलिए गोलियां चलाई थीं क्योंकि उसने शराब के लिए पैसे देने से मना कर दिया था।

क्या था पूरा मामला : घटना 4 दिसंबर 2025 की है। फरियादी कुश सेंगर (निवासी कोटेश्वर तिराहा) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी जाहिल उर्फ शैलेश बाथम ने फोन कर उससे शराब के लिए 2 हजार रुपये मांगे थे। जब कुश ने पैसे देने से इनकार किया, तो आरोपी ने अंजाम भुगतने की धमकी दी। कुछ ही देर बाद आरोपी अपने साथी शिवांग भार्गव और अन्य बदमाशों के साथ फरियादी के घर पहुँचा और कट्टे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उस समय घर पर फरियादी के माता-पिता मौजूद थे, जिनकी जान बाल-बाल बची। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। थाना प्रभारी बहोड़ापुर निरीक्षक आलोक सिंह परिहार को मुखबिर से सूचना मिली कि मुख्य आरोपी इंदौर में छिपा हुआ है। पुलिस टीम इंदौर रवाना हुई और देवास नाके के पास से 22 वर्षीय आरोपी जाहिल बाथम को घेराबंदी कर पकड़ लिया।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती राधा पत्नी श्री रविंद्र सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका वार्ड क्र 14, फड का पुरा, जाटव मोहल्ला, ग्राम पमाया एवं तहसील बनमौर व जिला मुरैना के सर्वे क्र. 274/1 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- भवन गोस्वामी, पश्चिम में- भवन गोस्वामी 20, उत्तर में- भवन रामवीर गौड़, दक्षिण में- रास्ता 10 फुट चौड़ा एवं कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है, जिसमें मेरे पक्षकार द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संपत्ति के अंश भाग का विक्रय पत्र जिसे श्रीमान रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा द्वारा श्रीमती सिरमिती पत्नी श्री उमेश गोस्वामी एवं श्रीमती रानिया पत्नी श्री अखिलेश गोस्वामी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सरल क्र. 1047 व ग्रंथ क्र. 6814 व दिनांक 16.06.2008 से एवं श्रीमती सिरमिती पत्नी श्री उमेश गोस्वामी एवं श्रीमती रानिया पत्नी श्री अखिलेश गोस्वामी द्वारा श्रीमान बचन सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सरल क्र. 7417 व ग्रंथ क्र. 8516 व दिनांक 21.02.2012 से विक्रय किया गया था के मूल दस्तावेज गुम हो गए हैं जिस किसी व्यक्ति विशेष को मिले कृपया नीचे दिए गए पते पर सूचित करें। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित हैं। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक 14.01.2026

प्रेषक-विशाल अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट"
ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती नरेंद्र बाई पत्नी श्री अहिवरन सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका पटवारी हल्का क्र. 31 एवं नया 35, ग्राम कीरतपुरा एवं तहसील गोहद व जिला भिंड के सर्वे क्र. 56 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- रास्ता, पश्चिम में- बच्चू की जगह, उत्तर में- विक्रेता की जगह, दक्षिण में- सुल्तान सिंह की जगह व कुल क्षेत्रफल 1020 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान गयाप्रसाद, बालकृष्ण पुत्रगण श्री भागीरथ एवं श्रीमान पन्नालाल व आदिराम पुत्रगण श्री हुब्बलाल के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी, जिसका उल्लेख विभाग के दस्तावेजों मे विधिवत दर्ज है। तत्पश्चात केवल श्रीमान गयाप्रसाद पुत्र श्री भागीरथ द्वारा श्रीमती नरेंद्र बाई पत्नी श्री अहिवरन सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख दस्तावेज क्र. 17 एवं ग्रंथ क्र. 3335 व दिनांक 01.04.2011 से विक्रय की गई। अतः मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित हैं। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक 14.01.2026

प्रेषक-विशाल अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट"
ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राकेश पुत्र श्री रामाधार सिंह ने एक अचल संपत्ति जिसका वार्ड क्र. 15, पटवारी हल्का क्र. 62, ग्राम आलापुर ब्लॉक व तहसील जौरा एवं जिला मुरैना के सर्वे क्र. 827/2 के अंश भाग की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- प्लॉट सरनाम सिंह बघेल, पश्चिम में- प्लॉट माखन गुर्जर, उत्तर में- आम रास्ता 20 फुट चौड़ा, दक्षिण में- आम रास्ता 15 फुट चौड़ा व कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट है को क्रय करने का लिखतम विक्रय अनुबंध संपत्ति मालिक श्रीमती कमलेश गुर्जर पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह गुर्जर से संपादित किया है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान रामबाबू कुशवाह पुत्र श्री सुमेर सिंह एवं श्रीमान मनीष पुत्र श्री रामस्वरूप राजपूत के स्वत्व, स्वामित्व एवं संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज है। तदुपरांत उक्त संपत्ति के अंश भाग में से केवल श्रीमान रामबाबू कुशवाह पुत्र श्री सुमेर सिंह द्वारा श्रीमान धनेश्वर शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा को ई-रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP25822016A1246866 व दिनांक 29.04.2016 से विक्रय की गई। तत्पश्चात, उक्त संपत्ति को श्रीमान धनेश्वर शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा श्रीमती कमलेश गुर्जर पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह गुर्जर को ई-रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP25822019A1345231 व दिन